भूमि फाइनेंस
हम समझे आपकी हर जरूरत को
हम कम्पेयर करके शेयर करते है बेस्ट प्लान्स
✓ डाक्टर प्रोफेशनल अनसिक्योर लोन (upto 5 cr.*)
✓ हॉस्पिटल मॉर्गेज लोन (upto 25 cr.*)
✓ बिजनेस लोन ऑडिट प्रोफाइल अनसिक्योर (upto 5 cr.*)
बिजनेस पार्टनर बनने हेतु सम्पर्क करें, बैंक/ NBFC क्षेत्र में अनुभव - 3 वर्ष
101, 1st Floor, Mahak Apartment, Civil Lines, Prayagraj - 211001
www.bhumifinance.com 9369206511
SERVICES PROVIDER T&C Apply

गो-हत्या से भड़कती भावनाएं, शांत समाज को होता नुकसान

कोर्ट ने रासुका के तहत हिरासत को ठहराया सही, याचिका खारिज

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गो-हत्या जैसे कृत्य समाज में स्वतः तीव्र भावनाएं और हिंसक प्रतिक्रियाएं भड़काती हैं, क्योंकि इससे समाज के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को स्पष्ट रूप से ठेस पहुंचती है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत याची की हिरासत को सही ठहराते हुए, उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर और संजीव कुमार की खंडपीठ ने समीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। समीर पर वर्ष 2025 में होली के दौरान एक गाय और दो बछड़ों की हत्या का आरोप है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य के समाज में तत्काल और व्यापक परिणाम होते हैं, जिससे लगभग हमेशा बड़े पैमाने पर हिंसा भड़कती है। यह हिंसा शांत समाज को नुकसान पहुंचाती है। खंडपीठ ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिनके प्रति समुदाय इतना संवेदनशील होता है कि यदि वे सामने आते हैं तो उनमें समाज में व्यापक उथल-पुथल मचाने की अंतर्निहित क्षमता होती है, जो जीवन की सामान्य गति को प्रभावित करती है। इनमें से एक मुद्दा गाय की हत्या है। यह देखते हुए कि इस कृत्य में जीवन की सामान्य गति को बाधित करने की क्षमता है। यह सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन करता है।

खंडपीठ ने हिरासत आदेश पारित करने में 'हिरासत प्राधिकारी' को पूरी तरह से उचित पाया। प्राधिकारी ने यह सोचकर आदेश दिया कि जेल से रिहा होने पर याचिकाकर्ता सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल हो सकता है। इसी के साथ खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी। समीर की हिरासत का आदेश शामली के जिला मजिस्ट्रेट ने रासुका की धारा 3(3) के तहत दिया था, जिसे बाद में राज्य सरकार ने भी सही ठहराया था।

मामले के अनुसार, 15 मार्च 2025 को पुलिस दल को शामली जिला के एक गांव के खेत में गाय के बछड़ों के अवशेष मिले। उस समय होली का त्योहार चल रहा था, इसलिए इस घटना से हिंदू आबादी के बीच अशांति फैल गई, जिसके चलते शांति व्यवस्था बनाने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा।

पुलिस जांच के बाद याचिकाकर्ता और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने जंगल में एक गाय और दो बछड़ों की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली थी।

सार्वजनिक धन के गबन मामले में विवेचना जरूरी

विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा, सार्वजनिक धन के गबन से जुड़े मामलों में जांच को किसी भी तकनीकी आधार पर रोका नहीं जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने सिद्धार्थनगर जिले के मनरेगा घोटाले से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए दिया है। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण ने वित्तीय अनियमितता अथवा आपराधिक विश्वासघात पाया है तो उसकी गहन जांच कानूनी रूप से आवश्यक है। मामला सिद्धार्थनगर के मनरेगा लोकपाल द्वारा की गई जांच से जुड़ा है। इसमें याचिकाकर्ताओं पर 7,91,326 रुपये के आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। लोकपाल की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) दर्ज की गई। याचिकाकर्ताओं के वकील ने न्यायालय में यह दलील दी थी कि उन्होंने लोकपाल के इस आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, लखनऊ में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर रखी है। उनका तर्क था कि जब तक अपील पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक उनके विरुद्ध दर्ज की गई एफआइआर वैधानिक रूप से उचित नहीं है। न्यायालय ने इन तर्कों को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा सर्वोपरि है।

मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण में देरी से हाई कोर्ट नाराज, प्राचार्य तलब

विधि संवाददाता, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में प्रस्तावित मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण में हो रहे विलंब को गंभीरता से लिया है। इसको लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर प्रभावी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सरकार और संबंधित अधिकारियों द्वारा दाखिल विभिन्न हलफनामों को रिकार्ड पर लिया गया। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि संबंधित भूमि (गाटा संख्या 38, 39 और 44) शहरी विकास विभाग के अधीन है, जिसके चलते मेडिकल कालेज के पक्ष में भूमि हस्तांतरण के लिए उस विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि पिछले करीब आठ महीनों से यह प्रक्रिया लंबित है। हर सुनवाई पर राज्य सरकार नया कारण बताकर समय मांग रही है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार प्रयागराज की चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर गंभीर नहीं है। सुनवाई के दौरान मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 18,700 वर्गमीटर में से लगभग 7,362 वर्गमीटर भूमि पर निर्माण कार्य हो चुका है। शेष भूमि पर ट्रामा सेंटर प्रस्तावित है, लेकिन वहां स्थित महिला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कालेज के ध्वस्तीकरण के बाद ही कार्य शुरू हो सकेगा। एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट में मेडिकल कालेज के छात्रावासों की जर्जर स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि छात्र-छात्राओं को अत्यंत खराब और असुविधाजनक परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है, जिससे मेडिकल शिक्षा और अस्पताल संचालन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। अदालत ने मेडिकल कालेज के प्राचार्य को एक सप्ताह के भीतर छात्रावासों की स्थिति और कार्डियोलॉजी विभाग की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई 29 अप्रैल पर प्राचार्य को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा राज्य के चिकित्सा शिक्षा विभाग के विशेष सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे स्पष्ट समयसीमा बताएं कि शहरी विकास विभाग से अनापत्ति कब तक प्राप्त कर ली जाएगी।

संक्षिप्त खबरें

दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार को पितृशोक

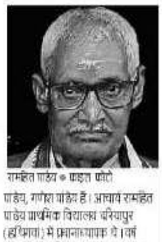

रामहित पांडेय • फाइल फोटो

जासं, प्रयागराज : दैनिक जागरण प्रयागराज के वरिष्ठ उप संपादक बृजेश कुमार पांडेय के 79 वर्षीय पिता आचार्य रामहित पांडेय का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज प्रयागराज के कैंटोनमेंट हास्पिटल में चल रहा था। यहां हालत में सुधार नहीं होने पर उन्होंने मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में अंतिम सांस ली। इसके बाद स्वजन पार्थिव शरीर लेकर प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित पूरे महिपाल सिंह निवास गए। नौबस्ता बीनी गंगाघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि ज्येष्ठ पुत्र दिनेश पांडेय ने दी। उनके पांच बेटे दिनेश पांडेय, बृजेश पांडेय, दुर्गेश पांडेय, महेश पांडेय, गणेश पांडेय हैं। आचार्य रामहित पांडेय प्राथमिक विद्यालय बरियापुर (हथिगवां) में प्रधानाध्यापक थे। वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद से वह घर पर ही रह रहे थे।

बिना ठोस आधार व जांच के बर्खास्तगी आदेश निरस्त

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के एक हेडमास्टर मुकेश कुमार शर्मा की सेवा समाप्ति का आदेश रद कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लगभग तीन दशकों की सेवा के बाद किसी शिक्षक को केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि उसने एक ही सत्र में दो डिग्रियां हासिल की थीं। खासकर तब जब ऐसा करने पर कोई कानूनी रोक नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजुरानी चौहान ने मुकेश कुमार शर्मा द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याची की नियुक्ति 1997 में अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी। बाद में प्रशिक्षण पूरा करने पर उन्हें नियमित वेतनमान दिया गया। वर्ष 2025 में एक शिकायत के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनकी सेवाएं इस आधार पर समाप्त कर दी थीं कि उन्होंने सत्र 1993-94 में इंटरमीडिएट और शारीरिक शिक्षा प्रमाणपत्र दोनों नियमित रूप से प्राप्त किए थे। कहा गया कि कार्रवाई से पहले कोई नियमित विभागीय जांच की गई न उचित सुनवाई का अवसर दिया गया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली का खुला उल्लंघन है। यदि कोई वैधानिक रोक नहीं है, तो दो परीक्षाओं में एक साथ बैठने को अयोग्यता का आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि याची के शैक्षिक प्रमाणपत्र आज भी वैध है। उन्हें किसी सक्षम प्राधिकारी ने रद नहीं किया है।

पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग खारिज

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गोरखपुर से जुड़े एक मामले में अधीनस्थ अदालत के आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। यह आदेश न्यायमूर्ति बीडी चौहान ने दिया है। याचिका में गोरखपुर निवासी राम चंद्र जायसवाल ने आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी (एसएचओ) ने दो सिपाहियों के साथ उनके घर आकर गाली-गलौज की। मोबाइल फोन, 23 हजार रुपये नकद और सोने की चेन उठा ले गए। इस संबंध में उन्होंने धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत आवेदन दिया था। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने 21 नवंबर 2024 को आवेदन खारिज कर दिया। इसके खिलाफ दाखिल आपराधिक पुनरीक्षण (क्रिमिनल रिवीजन) को भी 13 जनवरी 2026 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोरखपुर ने खारिज कर दिया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

अंचल दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, प्रयागराज 19–ए,
द्वारिका भवन, प्रथम तल, टैगोर टाउन, प्रयागराज

ई- नीलामी सूचना

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए सूचना

"परिशिष्ट"- IV-ए [नियम 8(6) एवं नियम 9 (1) के परंतुक को देखें]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9 (1) के परंतुक के तहत ई- नीलामी बिक्री सूचना

एतत्द्वारा **जनसाधारण एवं ऋणी तथा जमानतकर्ता** को विशेष रुप से यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित **अचल सम्पत्ति/बंधक/प्रभारयुक्त सम्पत्ति** को, जिसे **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **सांकेतिक कब्जे** में लिया गया है, को बैंक के निम्नलिखित खाते के बकाया वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **"जो है जहाँ है, जो है जैसे है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर बिक्री का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है। **ऋणी/जमानतकर्ता/प्रतिभूति आस्ति/देय/ आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, धरोहर राशि (इएमडी) एवं बिड बढ़ोत्तरी राशि का विवरण निम्नलिखित है-**

क्रं0 सं0	ऋणियों/ जमानतकर्ताओं का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण	कुल बकाया राशि	ई- नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित धनराशि/ अग्रिम धनराशि/ बिड बढ़ोत्तरी राशि	कब्जा की स्थिति (रचनात्मक/ भौतिक)	सम्पत्ति निरीक्षण करने के लिए तिथि एवं समय
1.	**ऋणीः- मेसर्स सुषमा एजेंसी पार्टनर- श्रीमती सुषमा गुप्ता और श्रीमती सोनी गुप्ता पंजीकृत कार्यालयः** 2/4/2सी, फाफामऊ बाई पास, इलाहाबाद-211013 **गोदाम का पताः** ए आर एम राइस मिल, ग्राम भगौतीपुर उर्फ खुटहना, ब्लॉक होलागढ़, आरबीएस कोल्ड स्टोरेज के सामने, तहसील सोरांव, जिलाः इलाहाबाद-212502 **शाखा कार्यालयः** दुकान संख्या जी 3, प्रभु ब्रम्हा अपार्टमेंट, नेल्को सोसाइटी त्रिमूर्ति नगर, नागपुर-440022. **श्रीमती. सुषमा गुप्ता** पत्नी पवन कुमार गुप्ता पार्टनरः मेसर्स सुषमा एजेंसी पंजीकृत कार्यालय 2/4/2सी, फाफामऊ बाई पास, इलाहाबाद-211013 **श्रीमती सोनी गुप्ता** पत्नी गोपेश कुमार गुप्ता पार्टनरः मेसर्स सुषमा एजेंसी पंजीकृत कार्यालयः 2/4/2सी, फाफामऊ बाई पास, इलाहाबाद-211013 **श्री महेंद्र केसरवानी** पुत्र श्री बद्री प्रसाद केशरवानी जमानतकर्ता-मेसर्स सुषमा एजेंसी निवासी 14, पुरानी गली, फाफामऊ, इलाहाबाद-211013 **श्री पवन कुमार गुप्ता** पुत्र स्वर्गीय सुंदर लाल गुप्ता जमानतकर्ता- मेसर्स सुषमा एजेंसी निवासी 534 A, चक रघुनाथ नैनी, इलाहाबाद-211008 **श्री गोपेश गुप्ता** पुत्र पवन गुप्ता जमानतकर्ता- मेसर्स सुषमा एजेंसी निवासी 534 , चक रघुनाथ नैनी, इलाहाबाद-211008	सभी सम्पत्ति एवं उसका भाग, भूमि आराजी खसरा सं0 329/1, ग्राम-खुशरवाह, पी. एच. कटिरा 46, तहसील जयसिंह नगर, जिला-शहडोल, मध्य प्रदेश में श्री पवन कुमार गुप्ता के स्वामित्व में स्थित है। पैमाइशी क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर,(2,17,800 वर्ग फिट) **चौहद्दीः- उत्तर**-गोपलका की भूमि, **दक्षिण**-मल्हेश प्रताप सिंह की भूमि, **पूरब**-सड़क, **पश्चिम**-रामधनी कोल एवं गोपलका की भूमि।	**दिनांक 10.12.2025 तक रु. 23,11,17,922.60** + ब्याज एवं अन्य खर्चे दिनांक- 11.12.2025 से प्रभावी	**दिनांकः 12.05.2026 समयः 02:00 PM से 6:00 PM**	**रु.2,85,81,000/- (आरक्षित मूल्य)** **रु.28,58,100/- (अग्रिम धनराशि)** **रु.1,00,000/- (बिड बढ़ोत्तरी राशि)**	सांकेतिक	**22.04.2026 से 11.05.2026 समय 10:00 AM से 4:00 PM**

बिक्री के नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाईट का अवलोकन करें:- **https://www.bankofbaroda.in/e-auction** एवं ऑनलाइन ऑक्सन पोर्टल Baanknet.com बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मोबाईल नं0- **9451845259, 9909229922** से सम्पर्क करें।

दिनांक : 21.04.2026
स्थानः प्रयागराज
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

एक नजर में

ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत

संसू, झूंसी : रेलवे स्टेशन झूंसी के निकट मंगलवार की सुबह ट्रेन की चपेट में आने से 30 वर्षीय महिला की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काफी प्रयास के बाद महिला की शिनाख्त नहीं हो पायी। मंगलवार की सुबह चौरीचौरा ट्रेन वाराणसी से कानपुर की ओर जा रही थी। ट्रेन जैसे ही झूंसी रेलवे स्टेशन निकट पहुंची तभी एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों ने इसकी सूचना झूंसी रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को दी। सूचना पाकर रेलवे पुलिस रामबाग मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। महिला की शिनाख्त नहीं हो पायी। महिला ने लाल रंग की छींटदार साड़ी पहन रखी थी।

एचटी लाइन का तार पेड़ पर गिरने से लगी आग

संसू, बरांव : डेरमादई गांव निवासी संगीता शुक्ला के घर के निकट हाईटेंशन लाइन का तार गया है। मंगलवार की दोपहर अचानक तार टूटकर एक पेड़ पर गिर गया। इससे पेड़ में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आस-पास के कई पेड़ों को अपनी जद में ले लिया। इससे संगीता शुक्ला के घर के बाहर रखा अनाज व कुछ घरेलु सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। गांव के इंद्रमणि शुक्ला ने बताया 11 हजार लाइन का तार जर्जर हो गया है। इसके पूर्व भी हाईटेंशन का तार टूटकर गिर गया था जिससे फसल जलकर राख हो गई थी।

आप भी भेजें कुछ खास हो तो हमें लिखें :-
reporter@ald.jagran.com

सजा काट रहे अपराधी की जमानत याचिका खारिज

जासं, जागरण, प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में सजा काट रहे अपराधी रिजवान की जमानत और सजा के स्थगन की अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जयकृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास है। अपराध की प्रकृति उसे राहत देने योग्य नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में दुर्भावना के हस्तांतरण का सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या के इरादे से गोली चलाता है। वह गोली किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति को लग जाती है, तब भी वह हत्या के अपराध का दोषी माना जाएगा। प्रकरण वर्ष 2019 का है। जब संभल जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र में रिजवान ने एक दुकानदार से पैसों की मांग की थी। दुकानदार द्वारा मना करने पर रिजवान ने उसे जान से मारने की नीयत से गोली चलाई, जो चूक गई। हालांकि, दूसरी बार चलाई गई गोली वहां काम कर रहे शाकिर नाम के मजदूर को लग गई, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

जीएसटी न भरा तो प्रधान व सचिवों से होगी वसूली

प्रयागराज : जिले में 1540 ग्राम पंचायतें हैं। ई-ग्राम पंचायतों को भी जीएसटी रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। इन ग्राम पंचायत में सारे भुगतान और लेखा-जोखा आनलाइन रहता है। सबकी आइडी बनी है। इसी पर सारा काम किया जाता है। सैकड़ों ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो नियमित जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर रही हैं। अभी तक उनकी आइडी पर जीएसटी का नोटिस नहीं पहुंचता था। ऐसे में तमाम पंचायत सचिव और प्रधान यह कहकर पीछा छुड़ा लेते थे कि जीएसटी के बकाए की जानकारी नहीं, जबकि अब जीएसटी की नोटिस से सीधे ग्राम पंचायत की आईडी पर पहुंचने लगी है।

पंचतत्व में विलीन हुए पूर्व मंत्री अरुण सिंह 'मुन्ना'

- राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार
- अंतिम दर्शन को घाट पर जुटी समर्थकों की भीड़

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार सिंह 'मुन्ना' पंचतत्व में विलीन हो गए। अंतिम संस्कार मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ रसूलाबाद स्थित चंद्रशेखर आजाद श्मशान घाट पर हुआ। ज्येष्ठ पुत्र अभिषेक सिंह आशु ने पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ समाज के हर वर्ग के लोग घाट पर एकत्र रहे।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव रहे अरुण कुमार सिंह मुन्ना हर वर्ग में लोकप्रिय थे। प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया। वह एक वर्ष से बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान सोमवार की शाम प्रयागराज में अंतिम सांस ली। पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास जौनपुर जिला के बादशाहपुर ले जाया गया। वहां से अंतिम संस्कार के लिए मंगलवार को पार्थिव शरीर प्रयागराज लाया गया। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी की ओर से पुष्पगुच्छ अर्पित किया गया। पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह, इवि के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष श्यामकृष्ण पांडेय, कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन, रघुनाथ द्विवेदी ने छात्र जीवन में मुन्ना से जुड़े संस्मरण साझा किए।

यूपी बोर्ड के स्कूलों में हर दिन दर्ज होगी आनलाइन उपस्थिति, निर्देश जारी

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड से जुड़े 29,238 राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए अब छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति आनलाइन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने 20 अप्रैल को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को इस संबंध में निर्देश जारी किए।

पत्र के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन शैक्षिक सत्र 2026-27 में इस व्यवस्था का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं पाया गया। निर्देशों के अनुसार अब विद्यालयों को प्रतिदिन पहले पीरियड में ही छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति आनलाइन दर्ज करनी होगी। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को अपनी लागइन आइडी का उपयोग करना होगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके लिए अलग से उपस्थिति पोर्टल लिंक और यूजर मैनुअल उपलब्ध कराया गया है।

डिजिटल प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए बोर्ड ने मोबाइल एप के जरिये भी उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा दी है। बोर्ड ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को विशेष जिम्मेदारी देते हुए निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के शत-प्रतिशत विद्यालयों से आनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। साथ ही नियमित निगरानी कर यह देखा जाए कि कोई भी विद्यालय इस व्यवस्था से बाहर न रहे।

Gurukul Montessori School
Sector-G, Shantipuram, Phaphamau, Prayagraj
"Our MISSION is awakening GENIUS, our STRENGTH is value based holistic EDUCATION"
ADMISSIONS OPEN 2026-27
NURSERY TO IXth & XIth
Our School's Strengths
- 21st Century Competency Based Teaching.
- We Teach Values & Sanskar.
- We Teach Life Skills.
- Khelo & Fit India School.
- ATL, Robotics & Skill Lab.
- Sangeet Academy.
- Shooting Academy.
- Well Stacked Library.
- Well Equipped Labs.
- NCC and Scouts & Guides.

DISTRICT PRAYAGRAJ TOPPER
98.80%
JAHNVI DEVVANSHI
CLASS 10th CBSE BOARD (2025-26)
ARADHYA MISHRA 97.80%
KUMUD YADAV 97.40%
AAYUSH YADAV 96.40%
TAMNNA 96.40%
ANUBHAV SINGH 96.20%
SHIKHAR PATEL 96.20%
SARA FAREED 95.80%
MAHIMA PAL 95.20%
SAKSHI PATEL 95.20%
ADITI SINGH 94.80%
LAXMI SINGH 94.80%
SHREYA 94.80%
AYUSH NANDAN TRIPATHI 94.60%
ABHINAV TIWARI 94.40%
ABHASH TRIPATHI 94.00%
DEEKSHA YADAV 94.00%
Sector-G, Shantipuram, Gohri Road, Phaphamau, Prayagraj, UP-211013, India
CALL NOW FOR ADMISSION ENQUIRY
9452850822 / 0532-2447061